

अन्तिम डिक्री
डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(अ. आ. 20 नियम 6-7 व्य.प्र.सं.)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
पीठासीन अधिकारी:- रमेश देव(आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 375/2018



संगरिया
सत्यमेव जयते
Copy - Not Official

1. राजीव कुमार पुत्र श्री राय सिंह जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. रविन्द्र कुमार पुत्र श्री राय सिंह जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

- वादीगण

बनाम्

1. मांगीलाल पुत्र श्री रुपराम जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. गुड्डी पत्नी श्री कृष्णलाल जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. नरेन्द्र पुत्र श्री कृष्णलाल जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. इन्द्रा पुत्री श्री कृष्णलाल जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
5. सरोज पुत्री श्री कृष्णलाल जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
6. रामचन्द्र पुत्र श्री ज्ञाना जाति सुनार निवासी दीनगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
7. भीखाराम पुत्र श्री जैसाराम जाति मेघवाल निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
8. मुखी पुत्री श्री जैसाराम जाति मेघवाल निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
9. जमना पुत्री श्री जैसाराम जाति मेघवाल निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
10. नानू पुत्री श्री जैसाराम जाति मेघवाल निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
11. किस्तुरी पत्नी श्री जैसाराम जाति मेघवाल निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
12. ओमप्रकाश पुत्र श्री मनफुलराम जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
13. जगदीशराम पुत्र श्री मनफुलराम जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
14. भारतीय स्टेट बैंक शाखा नई धानमण्डी संगरिया(पूर्व नाम स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर) जरिये शाखा प्रबन्धक।
15. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

- प्रतिवादीगण

घोषणा एवं खाता विभाजन हेतु वाद

लगातार --2

2/11/18
2/11/18
लीलावाली

2018

लीलावाली

दिनांक :- 22/6/23..

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ रमेश देव(आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरु हमारे बहाजरी श्री महावीर बेरड वकील वादी पेश होने पर तहसीलदार(राजस्व) संगरिया के पत्रांक प्रा. डिक्री/भूअ./2023/1978 दिनांक 06.06.2023 से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्ष अभिभाषकगण द्वारा सहमति देने पर वादीगण का वाद पत्र मुताबिक खाता विभाजन अन्य सहकाशतकारों का अन्तिम डिक्री किया जाता है।

चक 4 एन.टी.डब्ल्यू. के खाता सं. 70/49 में कुल 2.530 है. में मौके पर कब्जाकाशत की भूमि:-

1. रविन्द्र कुमार पुत्र श्री राय सिंह जाति जाट निवासी बोलांवाली प.नं. 176/163 मु. नं. 34 कि.नं. 16ता19/0.253 है.प्र., प.नं. 177/163 मु.नं. 33 कि.नं. 20/0.253 है., कुल 1.265 है. नहरी
2. नरेन्द्र पुत्र कृष्णलाल जाति जाट निवासी बोलांवाली प.नं. 177/163 मु.नं. 33 कि. नं. 19/0.253 है., प.नं. 176/133 मु.नं. 34 कि.नं. 15/2/0.063 है., कुल 0.316 है. नहरी
3. मांगीलाल पुत्र श्री रूपराम जाति जाट निवासी बोलांवाली प.नं. 176/133 मु.नं. 34 कि.नं. 12/0.253 है., 13/2/0.063 है., कुल 0.316 है. नहरी
4. जगदीशराम पुत्र श्री मनफुलराम जाति जाट निवासी बोलांवाली प.नं. 176/163 मु. नं. 34 कि.नं. 13/1/0.190 है., 14/0.253 है., 15/1/0.190 है., कुल 0.633 है. नहरी

उक्तानुसार खाता विभाजन कर रकमराज अलग से कायम की जाकर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व अन्य प्रतिवादीगण का नाम कब्जाकाशत के अभाव में नियमानुसार कलमजन किया जावे। तहसीलदार द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव डिक्री का भाग रहेगा।

नोट :- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादी हक आराजी बैंक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

निजX..... निलX..... मुब्लिकX.....निलX..... बाबत्X.....
.....निल.....X..... खर्चा मुकदमें के मयशुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तकX.....को अदा करे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मोहर अदालत से आज दिनांक 22/6/23.. को जारी किया जाता है।

(रमेश देव)

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
संगरिया

